E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–15/2024..........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश सं0–1322 दिनांक–12.03.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री सुजीत कुमार, (Emp. ID No.- ASO00032), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है।

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–537 –।। दिनांक–30.09.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सुजीत कुमार (Emp. ID No.-ASO00032), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, के दिनांक–27.03.2023 से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित है।

प्राप्त सूचना के आलोक में अपीलार्थी से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–306 दिनांक–18.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की है। (स्पष्टीकरण की प्रति इनके द्वारा समर्पित ईमेल आई0डी0–sujeetaecivil@gmail.com के साथ बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज को प्रेषित किया गया है।) 01 माह की अवधि के बाद भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जो कि वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छारिता का द्योतक है।

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा दिनांक–27.03.2023 से लगातार अनुपस्थित रहने के विरूद्ध अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर इन्हें दिया गया। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण माना गया कि अपीलार्थी अपने उपर लगे आरोपों के विरूद्ध कुछ कहना नहीं चाहते है एवं कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। अतः वर्णित प्रावधान के आलोक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निदेशालय आदेश ज्ञापांक–1322 दिनांक–12.03.2024 द्वारा इनका संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि दिनांक–24.02.2023 को सड़क दुर्घटना में श्री रंजीत चौधरी, ASO, ठाकुरगंज शिविर–01 के साथ मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हम दोनों को NEOTIA अस्पताल सिल्लीगुड़ी में भर्ती किया गया। ASO, श्री रंजीत चौधरी स्वस्थ्य होकर चले गये दुर्भाग्यवश मैं अचेतावस्था में चला गया। मेरे परिजन AIR AMBULANCE से सिल्लीगुड़ी से दिल्ली AIIMS में लाये, जहाँ आगे मेरी ईलाज हुई। अपीलार्थी का आगे कहना है कि अचेतावस्था के दौरान मेरे दुर्घटना की सूचना कार्यालय को Whatsapp के माध्यम से मेरे बड़े भाई साधुशरण द्वारा दी गयी थी। अपीलार्थी द्वारा अपने इलाज संबंधी चिकित्सीय पूर्जा इत्यादि की प्रति समर्पित किया गया है।

प्रस्तुत अपील वाद पर निदेशालय द्वारा दाखिल मंतव्य के अवलोकन के स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का दिनांक–24.02.2023 को सड़क दुर्घटना होने तथा जून–2024 तक इलाजरत रहने सम्बन्धी कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के कथन, निदेशालय के मंतव्य तथा संलग्न अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक–24.02.2023 को हुई सड़क दुर्घटना के उपरांत अपीलार्थी को दिनांक–25.02.2023 को NEOTIA GETWEL HEALTHCARE CENTRE, सिल्लीगुड़ी में भर्त्ती किया गया है, जहाँ उनकी प्रारंभिक ईलाज की गयी है। NEOTIA GETWEL HEALTHCARE CENTRE, का पूर्जा साक्ष्य के रूप में दिया गया है। मस्तिष्क में गंभीर चोट होने की स्थिति में चिकित्सीय परामर्श के आलोक में इन्हें Airlift करते हुए दिनांक–26.02.2023 को Jai Prakash Narayan Trauma Centre (AIIMS), New Delhi लाया गया, जहाँ उनकी चिकित्सा की गयी है। साक्ष्य के रूप में Air Ambulance का अभिश्रव संलग्न है। चिकित्सा उपरांत डॉ0 नवनिक सिंह भारद्वाज, वरिष्ट रेजीडेंट, जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर, (AIIMS) के प्रमाण–पत्र सं0–TC No-500360519 दिनांक–12.06.2024 द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ्य घोषित करते हुए दिनांक–17.06.2024 से कार्य करने हेतु प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील एवं संलग्न साक्ष्यों की विवेचना की गयी। विवेचनोपरांत पाया गया कि अपीलार्थी दुर्घटनाग्रस्त होने के उपरांत लंबे समय तक ईलाजरत रहे है। ईलाजरत अवधि में दुर्घटना की सूचना दिनांक–27.03.2023 को इनके परिजन द्वारा कार्यालय को दी गयी है जिसका उल्लेख समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–537–।। दिनांक–30.09.2023 द्वारा प्राप्त विहित प्रपत्र में अंकित है। गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में अपीलार्थी द्वारा निदेशालय पत्रांक–306 दिनांक–18.01.2024 से पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतियुक्तर नहीं दिया है।

उक्त विवेचना के आलोक में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या–1322 दिनांक–12.03.2024 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी का अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay मानते हुए सेवा में पुर्नबहाल किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–15/2024 13407 **पटना, दिनांक :–** 21/08/2024

प्रतिलिपिः– श्री सुजीत कुमार, (Emp. ID No.- AS00032), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज, Email ID-sujeetcivil@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

21.8.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–15/2024 13407 **पटना, दिनांक :–** 21/08/2024

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

21.8.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–15/2024......13407......**पटना, दिनांक :–**......21/08/2024......

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.8.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–15/2024......13407......**पटना, दिनांक :–**......21/08/2024......

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21.8.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–15/2024......13407......**पटना, दिनांक :–**......21/08/2024......

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21.8.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–15/2024......13407......**पटना, दिनांक :–**......21/08/2024......

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.8.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप